राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड

बनाम

प्रेमा देवी और अन्य

(2008 की सिविल अपील सं. 1667)

29 फरवरी, 2008

[न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम]

1. मोटर वाहन अधिनियम 1988 - मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व- दुर्घटना में पीडित व्यक्ति जो माल वाहक में निःशुल्क यात्रा कर रहा था और वाहन के स्वामी ने ऐसे यात्री को सुरक्षा देने के लिए कोई पाॅलिसी नहीं ले रखी थी निर्धारित- क्षतिपूर्ति करने का दायित्व उल्लंघन करने वाले वाहन के स्वामी पर है न कि बीमा कम्पनी पर।

न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम वेदवती और अन्य 2007(3) एससीएएलई 397 (निर्भर/भरोसा किया)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 1667/2008

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ, 2003 के एफ. ए. एफ. ओ. सं. 618 के अन्तिम निर्णय और आदेश दिनांक 05.11.2003 से।

अपीलार्थी की ओर से - अतुल नंदा, रमीजा हकीम, राजेश कुमार, संदीप बजाज और पी. एन. पुरी।

प्रत्यर्थी की ओर से - ए.के.डे, वी. पी. त्रिपाठी, गुडविल इंदिवर, के. शारदा देवी और शैल कुमार द्विवेदी।

न्यायमूर्ति अरिजीत पासायत के न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया।

1. अनुमति याचिका स्वीकार

2. इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ के विद्वान एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारत आदेश, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, को चुनौती दी गई।

3. प्रकरण में पृष्ठभूमि के संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः

उक्त प्रकरण में दुर्घटना दिनांक 01.06.1996 को हुई। दावेदार माल वाहक में निःशुल्क यात्रा कर रही थी। निर्विवाद रूप से वह माल वाहक में माल के मालिक या माल वाहन में परिवहन किए जा रहे माल के मालिक के प्रतिनिधि की हैसियत से यात्रा नहीं कर रही थी। दावा याचिका में दावेदार द्वारा इस पहले को भी स्वीकार किया गया था।

4. अपीलार्थी का पक्ष यह था कि माल वाहन के स्वामी ने ऐसे यात्री के लिए कोई पाॅलिसी नहीं ली गई थी और वहॉ यात्री के लिए पाॅलिसी लेने की कोई बाध्यता नहीं थी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि दावेदार अपील कर्ता से क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता है और उल्लंघनकर्ता वाहनों के मालिकों को अवार्ड की क्षतिपूर्ति करनी होगी।

6. दावेदार और उल्लंघन करने वाले वाहनों के मालिकों के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया।

7. न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम वेदवती और अन्य (2007) (3)एससीएएलई 397 में यह निर्धारित किया कि-

> "इस न्यायालय के पास ऐसे मामलों का विचारण का अवसर था, जिनमें यात्री माल वाहक में यात्रा के दौरान दुर्घटना हो गई और परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई अथवा शारीरिक क्षति हुई। ऐसे प्रकरण तीन श्रेणियों में आते है-
>
> अर्थात -
>
> 1. वे जो पुराने अधिनियम के अन्तर्गत आते है

2. वे जो अधिनियम के अंतर्गत आते है

3. वे जो 1994 में मोटर वाहन(संशोधन) अधिनियम द्वारा अधिनियम में संशोधन के अंतर्गत आते है। बाद में इसे "संशोधन अधिनियम" से संबोधित किया जाएगा।"

7. वर्तमान अपीलें दूसरी श्रेणी से संबंधित है।

8. सतपाल सिंह के मामलें(सुप्रा) में यह न्यायालय इस आधार पर आगे बढा कि पुराने अधिनियम की धारा 95(1) के प्रावधान अधिनियम की धारा 147(1) के बराबर है क्योंकि यह 1994 में संशोधन से पहले मौजूद था।

9. "माल वाहन" अभियक्ति के ध्यान में पढने पर-

सार्वजनिक सेवा वाहन, राज्य वाहक, परिवहन वाहक पुराने अधिनियम की धारा 2(18), 2(25),2(29),2(33) में आते है, इनसे संगत प्रावधान अधिनियम की धारा 2(14), 2(35),2(40),2(47) में है, जिनमें वैचारिक भिन्नता है।

<u>प्रावधान इस प्रकार है -</u>

<u>पुराना अधिनियम -</u>

2(8) "माल वाहन" का अर्थ है कि माल की ढुलाई के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई मोटर वाहन या कोई भी मोटर वाहन जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित नहीं है। जब इसका उपयोग केवल माल की ढुलाई के लिए या यात्रियों के अलावा किया जाता है।"

2(25) "सार्वजनिक सेवा वाहन" का अर्थ है किराये या इनाम के लिए यात्रियों की ढुलाई के लिए उपयोग किया जाने वाला या उपयोग किए जाने के लिए अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन, मोटर कैव, अनुबंधित कैरिज, स्टेज कैरिज शामिल है।

2(29) स्टेज कैरिज का अर्थ है ड्राईवर को छोडकर छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने वाला या ले जाने के लिए अनुकूलित एक मोटर वाहन जो पूरी यात्रा के लिए या चरणों के लिए अलग-अलग यात्रियों द्वारा भुगतान किए अलग-अलग किराए पर या इनाम के लिए यात्रियों को ले जाता है।"

2(33) "परिवहन वाहन" का अर्थ सार्वजनिक सेवा वाहन या माल वाहन।

अधिनियम(नया अधिनियम) -

2(14) माल वाहक- किसी भी मोटर वाहन का निर्माण या अनुकूलन केवल माल ढुलाई के उपयोग के लिए किया जाता है या किसी भी मोटर वाहन का निर्माण या अनुकूलन नहीं किया जाता है, जब माल की ढुलाई के लिए उपयोग किया जाता है।

2(35) सार्वजनिक वाहन सेवा का अर्थ है किराये या इनाम के लिए यात्रियों की ढुलाई के लिए उपयोग किया जाने वाला या उपयोग किए जाने के लिए अनुकूलित कोई भी मोटरवाहन और इसमें मोटर कैब, अनुबंध कैरिज, स्टेज कैरिज शामिल है।

2(40) स्टेज कैरिज का अर्थ है एक मोटर वाहन जो चालक को छोडकर छः से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए बनाया या अनुकूलित किया गया है(एसआईसी) या पूरी यात्रा के लिए या चरणों के लिए अलग-अलग यात्रियों द्वारा या उनके लिए भुगतान किए गए अलग-अलग किराया या इनाम।

2(47) परिवहन वाहन का अर्थ है सार्वजनिक सेवा वाहन, माल ढुलाई वाहन, शैक्षणिक संस्थान बस या निजी सेवा वाहन।

10. अधिनियम की धारा 145(सी) में परिभाषित दायित्व इस प्रकार है -

<u>दायित्व-</u> जहॉ कही भी किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति के सम्बन्ध में उपयोग किया जाता है, उसमें धारा 140 के तहत उसके संबंध में दायित्व शामिल है।

11. वाहनों की पृष्ठभूमि में तीसरे पक्ष के जोखिम जो बीमा की विषयवस्तु है, पुराने अधिनियम के अध्याय VIII और अधिनियम के अध्याय XI के निपटाए गए है। अधिनियम की धारा 147 का परन्तुक (एसआईसी) पुराने अधिनियम की धारा 96 के साथ होना चाहिए।

अधिनियम की धारा 147 का परन्तुक इस प्रकार है -

बशर्ते कि किसी पाॅलिसी की आवश्यकता नहीं होगी,

(i) पालिसी द्वारा बीमित व्यक्ति की उसके रोजगार के दौरान और उसके कारण हुई मृत्यु के संबंध में या शारीरिक क्षति के संबंध में दायित्व को कवर(सुरक्षा) करने के लिए कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1993(1993 का 8) के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्व, ऐसे किसी कर्मचारी की मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में

(ए) वाहन चलाने में लगे हुए

(बी) यदि यह एक सार्वजनिक सेवा वाहन,जो वाहन के कंडक्टर के रूप में या वाहनों पर टिकिटों की जाॅच करने में लगा हुआ है, या

(सी) यदि यह एक माल वाहक है, वाहन में ले जाया जा रहा है

(ii) किसी भी संविदात्मक दायित्व को कवर करने के लिए

12. यह महत्वपूर्ण है कि पुराने अधिनियम की धारा 95 में संलग्न परन्तुक में खण्ड शामिल था(ii) जिसे अधिनियम में जगह नहीं मिली है। इसे इस प्रकार पढा जाता है-

सिवाय इसके कि जहॉ वाहन एक ऐसा वाहन है जिसमें यात्रियों को किराये या इनाम के लिए या रोजगार के अनुबंध के कारण या उसके अनुसरण में ले जाया जा रहा है, या उसमें ले जाए जा रहे या प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में दायित्व को कवर करने के लिए ले जाया जाता है, या उस घटना के घटित होने के समय, जिसमें दावा उत्पन्न होता है, वाहन पर चढाना या उतरना।

13. पुराने अधिनियम की "माल वाहन" जो अधिनियम में माल परिवहन के रूप में है, की भाषा में अंतर महत्वपूर्ण है, केवल प्रावधानों को पढने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विधायी मंशा माल वाहक वाहन को किसी भी यात्री को ले जाने से रोकना था। पुराने अधिनियम में "माल वाहन" की परिभाषा में निहित यात्रियों के अलावा अभिव्यक्ति से स्पष्ट है। स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है क्योंकि प्रयुक्त अभिव्यक्ति "माल वाहन" केवल माल की ढुलाई के लिए है, इस अधिनियम में माल वाहन में यात्रियों को ले जाने पर विचार नही किया गया है। बीमा पाॅलिसी की आवश्यकता निर्धारित करने वाले पुराने अधिनियम की धारा 95 के साथ

जुडे परन्तुक के खण्ड(II) के समान कोई प्रावधान नहीं है। यहॉ तक कि धारा 147 भी अधिनियम में सार्वजनिक सेवा वाहन के किसी भी यात्री की मृत्यु या शारीरिक क्षति के खिलाफ अनिवार्य कवरेज अनिवार्य है। प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि सार्वजनिक सेवा वाहन के ड्राईवरों और कंडक्टरों और माल वाहन में ले जाने वाले कर्मचारियों के संबंध में अनिवार्य कवरेज कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 (संक्षेप में डब्ल्यू सी अधि०) के तहत देयता तक सीमित होगा। "माल वाहन" में किसी भी यात्री के लिए कोई संदर्भ नहीं है।

14. इसलिए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अधि० के प्रावधान माल वाहन में यात्रा करने वाले किसी भी यात्री के लिए अपने वाहन का बीमा कराने के लिए मालिक पर कोई वैधानिक दायित्व नहीं रखते है और बीमाकर्ता का इसके लिए कोई दायित्व नहीं होगा।

15. हमारे विचार को न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम आशा रानी और अन्य मामलें में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसलें

के समर्थन मिलता है। (2002(8) सुप्रीम 594) जिसमें यह माना कि सतपाल सिंह का मामला (सुप्रा) सही ढंग से तय नहीं किया गया था। इस स्थिति के अनुसार ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय का यह मानना उचित नहीं था कि बीमाकर्ता के पास अवार्ड संतुष्ट करने का दायित्व था।

16. इस स्थिति पर ओरियन्टल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम देवीरेड्डी कोंडा रेड्डी व अन्य (2003(2) एससीसी 339) में प्रकाश डाला गया है व इसके पश्चात् नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम अजीत कुमार व अन्य (2003(9) एससीसी 688) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बलजीत कौर व अन्य (2004(2) एससीसी 1) तथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोमिथी सुब्बयम्मा व अन्य (2005(12) एससीसी 243) तथा न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम आशा रानी के मामलें को दोहराया गया है।"

8. उपर्युक्त स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश धारणीय नहीं है और रद्द किया जाता है। दावेदार के लिए यह विकल्प खुला

है कि वह अवार्ड में पारित राशि को दोषी वाहन के स्वामियों से वसूल सकेगा।

9. अपील बिना खर्चे के आदेश के स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकृत

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी लोकेन्द्र चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।